3643

323

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Signature ...
ACC Name ... Md. Meraj Khan
ACC Code UP14306404
ACC ADDRESS TEHSIL ZAMANIA
LICENCE NO. 21
DISTRICT- GHAZIPUR (U.P.)

Certificate No.	:	IN-UP29534957346402U
Certificate Issued Date	:	29-Jun-2022 12:58 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14306404/ ZAMANIA/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14306404603383927953 74U
Purchased by	:	AMARNATH TIWARI SO KRISHNA NAND TIWARI BY DEED
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	MAUJA BAGHARI TEH ZAMANIA GHAZIPUR ARAJI NO 373,BY DEED
Consideration Price (Rs.)	:	3,60,000 (Three Lakh Sixty Thousand only)
First Party	:	AMARNATH TIWARI SO KRISHNA NAND TIWARI BY DEED
Second Party	:	AMARNATH TIWARI SO KRISHNA NAND TIWARI BY DEED
Stamp Duty Paid By	:	AMARNATH TIWARI SO KRISHNA NAND TIWARI BY DEED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	7,200 (Seven Thousand Two Hundred only)

Locked by
SR.........

Locked by
R.C.........

Amarnath Tiwari

Amarnath Tiwari

0000271323

<u>किस्म दस्तावेज पट्टा विलेख (*Lease Deed*)</u>

पट्टा की अवधि– 30 वर्ष (अनधिक)
मौजा–बघरी परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर।
निर्धारित वार्षिक किराया– 60000/–
निर्धारित वार्षिक पट्टा के छः गुना से रूपया 360000/–रू0
(स्टाम्प एक्ट की अनुसूची–1 के अनुच्छेद 35 के अनुसार)
अदा ई–स्टाम्प– 7200/–

श्री वशिष्ठ महाविद्यालय बघरी जमानिया गाजीपुर बजरिये प्रबन्धक अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी साकिन बघरी परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर–

(पट्टादाता प्रथमपक्ष)

व

सीता राम मेमोरियल ट्रस्ट बघरी जमानिया गाजीपुर बजरिये मैनेजर अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी साकिन बघरी परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर–

(पट्टाग्रहिता द्वितीय पक्ष)

Amarnath Tiwari

Amarnath Tiwari

सुरत तहरीर दस्तावेज पट्टा हाजा यूं हुई कि प्रथम पक्ष भू–स्वामी के नाम मौजा–बघरी परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर स्थित फसली वर्ष 1425–1430 के खाता सं0 00060 के आ0नं0 573 रकबा 1.832हे0 में से 0.810हे0 (दो एकड़) भूमि

जिसकी चौहद्दी–
पूरब– शेष भूमि प्रथम पक्ष व अन्य
पश्चिम– खडन्जा रास्ता 20 फीट चौडा
उत्तर– भूमि कृष्णानन्द तिवारी
दक्षिण– भूमि कृष्णानन्द तिवारी

को द्वितीय पक्ष उक्त संस्थान चलाने हेतु उक्त भूमि मय भवन बाउण्ड्रीवाल को पट्टा पर लेने हेतु प्रथम पक्ष के समक्ष प्रस्ताव रखा उक्त प्रस्ताव को प्रथम पक्ष ने स्वीकार किया उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों के आधार पर उक्त हस्ब चौहद्दी भवन जैल में निर्मित भूमि मय भवन बाउण्ड्री को 30 वर्ष पट्टा पर देना व लेना स्वीकार कर यह पट्टा विलेख निष्पादित कर रहे हैं।

(पट्टा विलेख की शर्तें)–

1. मौजा–बघरी परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर स्थित फसली वर्ष 1425फ–1430फ के खाता सं0 00060 के आ0नं0 573 रकबा 1.832हे0 में से 0.810हे0 (दो एकड़) भूमि को रूपया 60000/–रू0 वार्षिक पट्टा की दर से प्रथम पक्ष पट्टा पर उठाना चाहता है और द्वितीय पक्ष भी उक्त दर पर शिक्षण संस्था संचालन हेतु किराये पर लेने पर सहमत है, यानि तैयार है।

Amarnath Tiwari Amarnath Tiwari

2. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित भूमि का निर्धारित किराया 60000/- रू0 प्रति वर्ष की दर से प्रथम पक्ष को अदा करेगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि मय भवन बाउण्ड्री को दिनांक 29.06.2022 से 28.06.2052 तक यानि 30 वर्ष के लिए पट्टा पर प्रथम पक्ष द्वारा दिया जा रहा है।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रथम पक्ष पट्टा मियाद की अवधि से पूर्व द्वितीय पक्ष से खाली नहीं करायेगा।

5. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि मय भवन बाउण्ड्री में द्वितीय पक्ष को उक्त संस्थान खोलकर उपयोग व उपभोग करने का अधिकार होगा। उक्त संस्थान (स्कूल) संचालन में नियमों व उपबन्धों तथा सरकारी प्राविधानों के अनुरूप द्वितीय पक्ष के कार्य करने में कोई व्यवधान प्रथम पक्ष उत्पन्न नहीं करेगा।

6. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित भवन मय बाउण्ड्री का उपयोग उपरोक्त शिक्षा संस्था के संचालन हेतु ही करेगा इसमें विद्युत, टेलीफोन वगैरह का कनेक्शन द्वितीय पक्ष अपने नाम से लेगा तथा उनके समस्त प्रकार के बिलों का भुगतान द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि को अपने खर्च से अपने सुविधा व आवश्यकता के मुताबकि निर्माण करने का अधिकार होगा इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगा।

Amarnath Tiwari

Amarnath Tiwari

8. यह कि द्वितीय पक्ष को उक्त हस्ब चौहददी भूमि में कोई सिकमी किरायेदार रखने का अधिकार नहीं होगा और न ही कब्जा किसी दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा।

9. यह कि पट्टा विलेख में समस्त शर्त से उभय पक्ष व उनके वारिसानों (विधिक प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी) भी पाबन्द होगे/रहेंगे।

अतः यह पट्टा विलेख खुब सोच समझकर बिना किसी दबाव के अपने पूर्ण होश हवास में समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिये ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। उभय पक्ष भारतीय नागरीक है उभय पक्ष का स्वप्रमाणित फोटो चेहरे से मिलान करके इस दस्तावेज पर चस्पा है।

Amarnath Tiwari

Amarnath Tiwari

तहरीर तारीख– 29.06.2022
टाइपकर्ता– अनुप कुमार
मसविदाकर्ता– मु0 एनाम एड0, जमानियाँ, गाजीपुर
फीस– 200रू0

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह– संजय सिंह पुत्र आदित्य सिंह साकिन हरपुर परगना जमानिया, जिला गाजीपुर

गवाह– आशीष उपाध्याय पुत्र श्रीकृष्णकान्त उपाध्याय साकिन कोदई ओयरचक चन्दौली।

आवेदन सं०: 202200991004419

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 4498 के पृष्ठ 379 से 390 तक क्रमांक 3643 पर दिनाँक 29/06/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव प्रभारी उपनिबन्धक जमानियाँ गाजीपुर
उप निबंधक : ज़मानिया
गाजीपुर
29/06/2022

प्रिंट करें